कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री अजीत सिंह भाटी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनी जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि 22 आर.जे.डी, चक 22 आर.जे.डी जिला श्रीगंगानगर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री अजीत सिंह भाटी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 634/2021 अजीत सिंह भाटी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 634/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री अजीत सिंह भाटी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री अजीत सिंह भाटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनी जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री ओमप्रकाश को दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेश की पालना कर अवगत करावें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अजीत सिंह/634/2021 दिनांकः 02/02/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/बीकानेर संभाग, जोधपुर/बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर/श्रीगंगानगर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर/श्रीगंगानगर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)